भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं.22

शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2013 को उत्तर देने के लिए

संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि जारी किया जाना

*22. श्री रामचन्द्र खूंटिआ:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि जारी किए जाने हेतु क्या दिशा-निर्देश हैं;

(ख) जिला प्राधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए जाने पर धनराशि जारी न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2008-2009 से 2013-14 तक ओडिशा से क्रमश: राज्य सभा और लोक सभा के संसद सदस्यों को कुल कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (श्री श्रीकांत कुमार जेना)

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

दिनांक 06.12.2013 को उत्तर के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 22 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के दिशानिर्देशों के पैरा 4.3 में यह उल्लेख किया गया है कि लोक सभा के गठन अथवा राज्य सभा सदस्य के निर्वाचन के समय 2.5 करोड़ रु. की पहली किस्त वित्तीय वर्ष के आरम्भ में जारी की जाएगी ।

शेष वर्षों में, वित्तीय वर्ष के आरम्भ में पहली किस्त इस शर्त के अधीन जारी की जाएगी कि पूर्व वर्ष की दूसरी किस्त जारी कर दी गई हो तथा पूर्व वर्ष की प्रथम किस्त के व्यय के कम से कम 80% को शामिल करते हुए अनंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो ।

दूसरी किस्त निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जारी की जाएगी:-

(i) सभी स्वीकृत कार्यों की लागत को ध्यान में रखने के पश्चात जिला प्राधिकारी के खाते में उपलब्ध मंजूर न की गई शेष राशि 1 करोड़ रु. से कम हो;
(ii) संसद सदस्य की निधि का अव्ययित अधिशेष 2.5 करोड़ रु. से कम हो; और
(iii) जिला प्राधिकारी द्वारा हाल ही में 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष का उपयोग प्रमाण-पत्र तथा लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो ।

(ख) एमपीलैड्स निधियां नहीं जारी की जाती यदि निधियों को जारी करने संबंधी निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गई हों ।

(ग) वर्ष 2008-09 से 2013-14 (30.11.2013 तक) के दौरान ओडिशा से संसद के राज्य सभा तथा लोक सभा के सदस्यों को एमपीलैड्स के अंतर्गत 525 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी ।

*****